

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑनलाइन रिफण्ड मॉड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-क0नि0-4-219/11-2018/300(5)/18 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में जारी शुद्धि-पत्र के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/1449/ वाणिज्य कर दिनांक 23.02.2018 द्वारा जीरो रेटेड सप्लाई के साथ-साथ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डीमड निर्यात तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त आई0टी0सी0 होने पर रिफण्ड क्लेम करने हेतु मैनुअल प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया एवं उसके निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे तथा उक्त पत्र के साथ शासनादेश संख्या-क0नि0-4-219/11-2018/300(5)/18 दिनांक 23.02.2018 की प्रति संलग्न कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश संख्या- क0नि0-4-282/11-2018/300(5)/18 दिनांक 21.03.2018 द्वारा शासन ने पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-4-219/11-2018/300(5)/18 दिनांक 23.02.2018 का शुद्धि-पत्र जारी किया गया है, जिसमें मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था, जिसे अब सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि अपने जोन के अन्तर्गत सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस "शुद्धि-पत्र" की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस शुद्धि-पत्र के आदेशों से अवगत कराते हुये कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार-(शुद्धि-पत्र)।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

पू0 प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, लखनऊ को आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से सभी जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।